

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

FP/CG/TRANS/11237/2015

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

— रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।

- | | | | |
|-------|---|---|----------------|
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | — | छत्तीसगढ़ |
| (ii) | जिला | — | रायगढ़ |
| (iii) | वन प्रभाग | — | रायगढ़ |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.) | — | 1.800 हेक्टेयर |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | — | राजस्व वन |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | — | निरंक |
-निरंक.....
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।
-निरंक.....
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
-भू-क्षरण नहीं होगा।.....
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।
-प्रस्तावित स्थल राजस्व वन सीमा के अंदर है।.....
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)
-नहीं है।.....
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

.....नहीं पाया जाता ।.....

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।

.....नहीं है ।.....

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

..... प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है ।.....

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं ।

.....नहीं किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है ।.....

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. प्रस्तावित किया गया है । जिसमें 9000 साल पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार ।

प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1235 प्रस्तावित में प्रस्तावित किया गया है । क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. एक ही भू-खण्ड में किया जावेगा ।

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है ।

- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।

रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिच्यय ।

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि रु. 1964362/-राशि का योजना तैयार किया गया है । राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है । जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।

- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

.....6836.00 वर्ग कि.मी.

(ii) जिले का वन क्षेत्र

.....2005.475 वर्ग कि.मी.

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

..... 48/3198.408 हे.....

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।

.....निरंक

(ख) वनेतर भूमि पर।

.....निरंक

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3198.408 हे. है। जिसके विरुद्ध 1592.130 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

12. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्थान द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रायगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक:- 26.10.2016
स्थान:- रायगढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

THE HISTORY OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE